

प्रश्न सं. [ क. 1890 ]

विधानसभा अंतरांकित प्रश्न क्र. 1890

परिशिष्ट - अ

मध्य प्रदेश शासन  
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग  
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ 3-1/2019/26-2

भोपाल दिनांक 13/02/2019

प्रति,

संचालक,  
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय,  
भोपाल।

विषय:- सरकार के वचन-पत्र की कण्डिका 22.1 के अनुसार पेंशन योजनाओं की पेंशन राशि में वृद्धि के संबंध में

—0—

भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा वृद्धों, कल्याणियों, परित्यक्ताओं, अविवाहिताओं, दिव्यांगजनों के लिए संचालित सभी पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि की जाकर प्रतिमाह रुपये 600/- (रुपये छः सौ मात्र) प्रति हितग्राही की जाती है।

उपरोक्तानुसार रुपये 600/- (रुपये छः सौ मात्र) प्रतिमाह पेंशन की राशि मार्च 2019 से स्वीकृत की जाकर अप्रैल 2019 से वितरित की जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(अशोक शाह)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग  
भोपाल दिनांक 13/02/2019

पृ० क्र०-एफ 3-1/2019/26-2

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय मध्यप्रदेश ।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, कार्यालय मध्यप्रदेश ।
3. विशेष सहायक, मा० मंत्रीजी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग ।

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग